संख्या-3/2026/117/001-21-4002-002-3-2026

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2026

विषय:- हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र सं0-22/हि0ए0/2026-27, दिनांक 28 अप्रैल, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-39 के अंतर्गत 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्रावधानित धनराशि रू0 121.26 लाख (रूपये एक करोड इक्कीस लाख छब्बीस हजार मात्र) में से प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की धनराशि राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त अनुदान की धनराशि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा आहरित करके हिन्दुस्तानी एकेडेमी को दी जायेगी और उसका बिल सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध व्यय एवं समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त स्वीकृत धनराशि को एक माह की आवश्यकता के अनुसार प्रतिमाह आहरित किया जायेगा। यदि किसी माह में एक माह की धनराशि का आहरण नहीं हो पाता है ता अगले माह में दो माह की धनराशि एक साथ आहरित की जा सकती है। संस्थान में लम्बित आडिट आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के अध्याय-16(ए) में उल्लिखित नियमावली में दिय गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय-विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040300 हिन्दुस्तानी अकादमी,उ.प्र.को अनुदान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-3(1)/2026/117/001-21-4002-002-3-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- सचिव, हिन्दुस्तानी एकेडेमी उ0प्र0, प्रयागराज।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- भाषा (उर्दू) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।